कार्यालय जिला परिषद कुल्लू जिला कुल्लू हि० प्र०।

क्र0 सं0 – 3952 दिनांक – 27/02/15.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद कुल्लू द्वारा सरवरी में एक हाल का निर्माण किया है जिसका अनुमानित साईज 60*30 feet है तथा इसमें दो शौचालय तथा एक रसोईघर, विद्युत सुविधा के साथ उपलब्ध है। जिला परिषद द्वारा इस हाल को 3 वर्ष (यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है) के लिए लीज पर देने के लिए दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रातः 11:00 बजे जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। इस हाल को लीज पर लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17 मार्च 2015 सांय 4:00 बजे तक सचिव जिला परिषद के पास मु0 50000/–रू0 की राशि अमानत के रूप में जमा करना सुनिश्चित करें। इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस को समय प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक इस हाल का निरीक्षण कर सकते हैं तथा नीलामी से संबंधित समस्त जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड या जिला परिषद की वेबसाईट www.zpkullu.com or www.kulluzp.hppanchayat.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं –

1. प्रत्येक बोली देने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व दिनांक 17 मार्च 2015 तक सचिव जिला परिषद के कार्यालय में मु0 50000/–रू0 की राशि अमानत के रूप में जमा करनी होगी। नीलामी में मात्र वही व्यक्ति भाग ले सकेगा जिसने अमानत राशि जमा की होगी । नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर अमानत राशि वापिस कर दी जाएगी लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा सबसे उंची बोली दी जाएगी उस व्यक्ति द्वारा जमा अमानत राशि को वापिस नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को मु0 50000/–रू0 राशि इस कार्यालय में और जमा करनी होगी इस तरह उस द्वारा इस कार्यालय में जमा राशि मु0 01लाख रू0 हो जाएगी। इस राशि को लीज अवधि समाप्त होने तक अमानत राशि के रूप में इस कार्यालय में ही जमा रखा जाएगा।
2. लीज की अवधि समाप्त होने पर पटटेधारक को जमा अमानत राशि मु0 01लाख रू0 पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. लीज की अवधि दिनांक 01.04.2015 से शुरू होगी।
4. अमानत राशि इस कार्यालय में दिनांक 17 मार्च 2015 सांय 4:00 बजे तक जमा की जा सकती है इसके पश्चात कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
5. बोली मु0 200000/– रू0 से शुरू होगी।
6. जो बोलीदाता हाल की बोली में सफल रहता है उसको एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के साथ स्टाम्प पेपर पर एक इकरारनामा करना होगा। यदि इकरारनामा एक सप्ताह के भीतर नहीं किया गया तो अमानत के रूप में जमा राशि को जब्त कर दिया जाएगा तथा उसे वापिस नहीं किया जाएगा। इसके उपरान्त इस हाल को द्वितीय बोलीदाता को दिया जाएगा।
7. पटटेधारक को प्रत्येक छः मास का किराया अग्रिम जमा करना होगा। यदि पटटेधारक छः मास की अवधि बीत जाने पर आगे के छः मास का किराया 15 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा किया गया इकरारनामा रदद समझा जाएगा तथा जमा अमानत राशि वापिस नहीं दी जाएगी।

8. लीज की अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि के पश्चात यदि पंचायत भवन कमेटी चाहेगी तो इसे पुनः तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा सकती है या पुनः नीलामी करके किराए पर दे सकती है। यदि अवधि को बढ़ाया जाता है तो उस दशा में किराया भी 15प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।
9. यदि पटटेधारक लीज की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही हाल को खाली करता है उस दशा में उस द्वारा अग्रिम जमा अमानत व किराया राशि वापिस नहीं की जाएगी।
10. पटटेधारक किसी भी तरह का अवैध कार्य हाल में नहीं करेगा तथा किसी भी वैध कार्य करने के लिए हाल में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या तबदीली नहीं करेगा। यदि पटटेधारक अपना काम शुरू करने हेतू हाल में किसी भी तरह का कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसकी अनुमति इस कार्यालय से लेनी आवश्यक होगी।
11. पटटेधारक को हाल को आगे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने का अधिकार नहीं है यदि वह ऐसा करता है तो उस स्थिति में उसे इस हाल से बेदखल किया जा सकेगा।
12. पटटेधारक हाल के किसी भी भाग जैसे बिजली की फिटिंग खिड़की के शीशे, या किसी अन्य चीज को नुकसान पहुंचाता है तो पटटेधारक को वह नुकसान पूरा करना होगा तथा वह नुकसान राजस्व के बकाया की सूरत में या प्रतिभूति से जैसा पंचायत भवन कमेटी या अधोहस्ताक्षरी उचित समझे से वसूल होगा।
13. हाल को किसी ऐसे व्यापार में प्रयोग नहीं किया जाएगा जिस चीज को जल्दी आग लग जाती हो या शीघ्र जलने वाला पदार्थ हो।
14. हाल के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान पटटेधारक द्वारा किया जाएगा।
15. लीज के बारे किसी किस्म के झगड़े के नियन्त्रण का अधिकार अध्यक्ष नीलामी कमेटी को होगा।
16. लीज के बारे किसी झगड़े का निपटारा मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जो उपायुक्त कुल्लू द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।
17. पटटेधारक को वह समस्त कर देने होंगे जो म्युनिसिपल एक्ट या अन्य कानून के अधीन लगे हों या आगे लगेंगे जिसका समायोजन किराए में नहीं किया जाएगा और न ही यह राशि इस कार्यालय द्वारा पटटेधारक को वापिस की जाएगी।
18. अन्तिम बोली स्वीकृत करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
19. यदि नीलामी के लिए बोली दाताओं की संख्या जो नीलामी कमेटी उचित समझे नहीं होगी तो नीलामी जनहित में स्थगित की जा सकती है।
20. नीलामी कमेटी को नीलामी की कोई भी शर्त नीलामी से पूर्व जनहित में बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. इकरारनामे करते समय पंचायत भवन कमेटी की अनुमति से इकरारनामे में अन्य शर्तें भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

सचिव
जिला परिषद कुल्लू
जिला कुल्लू हि0 प्र0।